

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अनुपालन में अमीन के सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये गये विकल्प पत्र।

विकल्प पत्र-02 नं०

क्र.सं०	कर्मचारी कोड	नाम / पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
	360017652	प्रमोद कुमार अमीन	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, भवाली	<ol style="list-style-type: none"> निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, डीडीहाट 	अमीन के पद पर नियमित नियुक्ति वर्ष 2015 में सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में क्रमांक 1 के कम में

हस्ताक्षर कार्मिक



नाम:— प्रमोद कुमार
पदनाम:—अमीन

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

10
25/11/2023

नाम:—इ०एम०एम०अक्षय कुमार सुण्डीमयन्ता
पदनाम:—अधिसूचक अक्षय कुमार सुण्डीमयन्ता
भवाली

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र.सं.	कर्मचारी कोड	नाम / पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	010022293	राम बालक वर्मा, अमीन	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	-	अमीनों के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची (सुगम से दुर्गम) में श्री रामबालक वर्मा, अमीन का नाम क्रमांक-2 पर अंकित है। इनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि ये वर्तमान में जिला देहरादून के अमीन संघ के जनपदीय अध्यक्ष होने के कारण स्थानान्तरण एकट की धारा-17 (2) (घ) के अन्तर्गत छूट होने के कारण स्थानान्तरण हेतु छूट चाही गयी है। (प्रार्थना पत्र संलग्न)।




(राम बालक वर्मा)

अमीन

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

प्रा०ख०, लो०नि०वि०

देहरादून


(प्रवीन कुश)

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

देहरादून

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
देहरादून।

विषय :- मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी अमीन संघ का जनपदीय अध्यक्ष है। अमीन संघ के जनपदीय अध्यक्ष होने के कारण स्थानान्तरण एक्ट की धारा-17(2) (घ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण नियमावली में छूट का प्राविधान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि प्रार्थी को स्थानान्तरण एक्ट में छूट मिल सके।

आपकी अति कृपा होगी।

क्रम सं० 1060
फाइल -3E
दिनांक 03/05/23

ECU
AF
CAO

भवदीय,
PBU
03/05/23
(राम बालक वर्मा)
अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
देहरादून

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अमीन संघ

उत्तराखण्ड प्रदेश, देहरादून।
(मान्यता प्राप्त सं० 1606/III(1)/14-09(46)/14 देहरादून, दिनांक 26 अगस्त 2014)
सम्बद्ध राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तरांचल

मंगल सिंह नेगी

प्रदेश अध्यक्ष

प्लॉ खण्ड लो०नि०वि०, नई टिहरी

सम्बन्ध पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० नई टिहरी

* 9410196548, 9411743291



हिमानन्द भट्ट

प्रदेश सचिव

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, नरेंद्र नगर,

ई 9758610874

पत्रांक

218 / निर्माण-17

दिनांक 28/3/20

सेवा में

आधीश्वर इन्जिनियर
लो०नि०वि०

देहरादून

विषय

लोक निर्माण विभाग अमीन संघ की जनपद देहरादून की कार्य-
जारी करने के संबंध में।

संदर्भ

उपरोक्त विषय में आपको डाकवाले क्रमांक 26/3/2023 से जनपद देहरादून में कार्य-जारी करने की एक इम्पॉवरमेंट
लेटर संघ-पत्र देहरादून में सम्बन्ध है। जिसमें सर्व हमारे से कार्य-
जारी की जनपद देहरादून की नियुक्ति के कार्य-जारी करने
की गयी।

- ① जनपद आधीश्वर - श्री राम शर्मा अमीन जनपद देहरादून
- ② जनपद संचालक - श्री अमरेंद्र शर्मा अमीन देहरादून
- ③ जनपद उपाधीश्वर - श्री आशीष अमीन

नोट: - आधीश्वर उपरोक्त तुला सुन्कार संघित।


(अमरेंद्र शर्मा)
उपरोक्त संघित

(हिमानन्द भट्ट)
उपरोक्त संघित

प्रतिलिपि - निम्न को सूचना संघित।

- ① प्रतिलिपि मुख्य अंशिकता सेवक विभागाध्यक्ष लो०नि०
वि० देहरादून
- ② प्रतिलिपि - मुख्य अंशिकता केलीय कर्मचारी देहरादून
- ③ प्रतिलिपि - मुख्य अंशिकता (रा० ग०) लो० 100 लि
देहरादून

(अमरेंद्र शर्मा)
उपरोक्त संघित



(हिमानन्द भट्ट)
उपरोक्त संघित